न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीनिधि बी.टी. आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 72/2019 RCMS No. 2019/ 00325
दायरा तिथि : 27.11.2019
फैसला तिथि : 04.12.2019

प्रार्थी:–
श्री पुरूषोतम बोहरा पुत्र श्री खीमारामजी जाति ब्राहमण
निवासी भन्दर तहसील बाली जिला पाली (राज0)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
2. श्री गिरधारीलाल बोहरा पुत्र श्री खीमाराजी जाति ब्राहमण
   निवासी भन्दर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

–:: आदेश ::– दिनांक 4-12-2019

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर ग्राम भन्दर में उसके द्वारा सह खातेदारी में धारित की भूमियो यथा खसरा नंबर 2023, 3674, 3675 के अधिकार अभिलेख रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदियों में प्रार्थी का **त्रुटिपुर्ण नाम पुखराज पुत्र खीमाराम** दर्ज होने से अन्य सरकारी दस्तावेजों में दर्ज प्रार्थी का **सही नाम पुरूषोत्तम बोहरा पुत्र खीमाराम** अनुसार अधिकार अभिलेखों में भी नाम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा इसका अधार यह बताया गया कि प्रार्थी का नाम बोलचाल में पुखराज होने से प्रार्थी के पिता खीमारामजी के देहांत बाद दाखिल व स्वीकृत नामान्तरकरण से पटवारी हल्का भन्दर द्वारा प्रार्थी का नाम त्रुटिपुर्ण दर्ज कर दिया गया, जो इसके बाद बनी जमाबंदियो में यथावत कायम रहते हुये वर्तमान जमाबंदियों में भी त्रुटिपुर्ण **पुखराज पुत्र खीमाराम** दर्ज हैं। अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि में प्रार्थी द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य पैन कार्ड की फोटो प्रति, आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, स्कुल टी.सी की फोटो प्रतियॉ पेश की गई, जिन सभी में दर्ज इन्द्राज के अनुसार प्रार्थी का सही नाम **पुरूषोत्तम बोहरा पुत्र खीमाराम** दर्ज है, परन्तु पिता के देहांत पश्चात् दाखिल नामान्तरकरण की प्रति, वादग्रस्त भूमियों की जमाबंदियो की नकले जो पेश की गई है, उनमें दर्ज इन्द्राज के अनुसार भूमि भन्दर के खसरा नंबर 2023, 3674, 3675 में प्रार्थी का **त्रुटिपूर्ण नाम पुखराज पुत्र खीमाराम** बतौर सह खातेदार दर्ज है। इसके साथ ही रेकर्ड में दर्ज सह खातेदार अपने भाई गिरधारीलाल बोहरा का शपथ पत्र भी पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबध में तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब किये जाने पर तहसीलदार, बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक/भू0अ0/2019/4261 दिनांक 26.11.2019 से रिपोर्ट प्रेषित करते हुये प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो से सहमति व्यक्त करते हुये प्रार्थी का त्रुटिपूर्ण नाम पुखराज जमाबंदी मे दर्ज होना बताया। तथा उक्त त्रुटि प्रार्थी के पिता खीमा के देहान्त के बाद दाखिल व स्वीकृत नामान्तरकरण से होने से प्रार्थी का **त्रुटिपुर्ण नाम पुखराज** अन्य भाई व माता के साथ में दर्ज कर दिया गया, जिसको प्रस्तुत साक्ष्यो राशन कार्ड, आधार, कार्ड व शैक्षणिक प्रमाणपत्रो में दर्ज इन्द्राज के अनुसार सही नाम **पुरूषोत्तम बोहरा पुत्र खीमाराम** दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गई। रेकर्ड दर्ज सह खातेदार प्रार्थी के भाई गिरधारीलाल बोहरा को तलब किये जाने पर उन्होने भी दिनांक 04.12.2019 को उपस्थित होकर शपथ पत्र में वर्णित से तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी का सही नाम **पुरूषोत्तम बोहरा पुत्र खीमाराम** दर्ज किये जाने बाबत् सहमति व्यक्त की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं अप्रार्थी तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार हस्तगत् प्रकरण में यह जाहिर हैं कि ग्राम भन्दर तहसील बाली में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 2023 रकबा 0.74 हैक्टर किस्म चा.प्र., जा.अ., खसरा नंबर 3674 रकबा 0.12 हैक्टर किस्म बा.दो., खसरा नंबर 3675 रकबा 0.92 हैक्टर किस्म बा.अ. में बतौर सह खातेदार प्रार्थी का **त्रुटिपुर्ण नाम पुखराज पुत्र खीमाराम** दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी के पिता वजाराम पुत्र हेमाराम के देहान्त के पश्चात् दाखिल उक्त नामान्तरकरण से प्रार्थी का **नाम पुखराज** दर्ज किया जाना प्रमाणित है। जबकि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शैक्षणिक प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्रो में प्रार्थी का सही नाम **पुरूषोत्तम बोहरा पुत्र खीमाराम** दर्ज होना प्रमाणित है।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.......02

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध संख्या 72/2019 RCMS No. 2019/ 00325

अनवान पुरूषोत्तम बोहरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली वगैरा वगैरा

अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के प्रावधानो अनुसार राजस्व रेकर्ड में हुई त्रुटियो को दोनो पक्षो के सहमत होने पर दुरस्त किया जा सकता है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रो के अनुसार भी नाम संशोधन किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम भन्दर स्थित भूमि खसरा नंबर 2023, 3674, 3675 में बतौर सह खातेदार दर्ज **प्रार्थी के त्रुटिपुर्ण नाम पुखराज के बजाय सही व शुद्ध नाम पुरूषोत्तम बोहरा** अन्य सह खातेदार के **साथ हिस्सा अनुसार** दुरस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, भन्दर आदेशानुसार रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। इस हेतु आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, भन्दर को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

Sreenidhi

(श्री श्रीनिधि. बी.टी,)
उप - खण्ड अधिकारी, बाली
मू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 5-12-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sreenidhi

मू0 अभिलेख अधिकारी
उप - खण्ड अधिकारी बाली
(एस.डी.ओ.), बाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sreenidhi B T
Date: 2019.12.06 15:08:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: